संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A11-147/2016

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

7 MAR 2017

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक : ~~फरवरी,~~ 2016**

महोदय,

आपके पत्र संख्या 942 / SDSUV/Affi-2016-17 दिनांक 23.07.2016 एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या 3 (45) 2016 की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अधीन निम्न संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रम में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	उत्तराचंल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सुभारतीपुरम, कोटला सन्तौर, आमावाला रोड, पो0ओ0 चन्दनवाडी, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून	**एम0ए0** (Education)	50 सीट	सत्र 2016–17 हेतु

1. सत्र प्रारम्भ करने से पूर्व संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियॉ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
3. छात्रों के प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नही किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति / प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक / सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत् उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
4. संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय, शासन, एवं मा0 कुलाधिपति के आदेशों / निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

क्रमशः– 2 पर